



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(मण्डता दीनदयाल रामाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

प्रमाणन्-

एफ-५० कार्मिक / सा प्र / ननियेज / २०२३ / १५३७

दिनांक -

१७/१/२०२३

कार्यालय आदेश

श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय, केन्द्रीय शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर का दिनांक 23.01.2023 से 27.01.2023 तक कुल 05 दिवस का उपार्जित अवकाश राजस्थान सेवा नियम 91 (ए) के अनुसार स्वीकृत किया जाकर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा इनके अवकाश काल के दौरान श्रीमती रेखा शर्मा, सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय, लेखा शाखा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवंटित कार्य के साथ साथ श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय का कार्य भी सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

— ६१ —

(सीमा शर्मा)
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो० / उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. उपायुक्त सांगानेर जोन / जगतपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी शाखा (मु०), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. संस्थापन लिपिक
9. सम्बन्धित श्री.....
10. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
11. गार्ड फाईल

उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर